मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)
नर्मदा भवन, द्वितीय तल, 'सी–विंग', 59–अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र. 5738 / योजना / NR–1 / MGNREGS-MP / 2010 भोपाल, दिनांक 05/06/2010

प्रति,

1. कलेक्टर / जिला कार्यक्रम समन्वयक
   जिला .... (समस्त)
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी / अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
   जिला पंचायत .... (समस्त)
   मध्यप्रदेश

विषयः महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के संशोधित लोगो के संबंध में।

भारत सरकार द्वारा "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का संशोधित लोगो जारी किया गया है, जो कि भारत सरकार की वेबसाईट www.nrega.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

कृपया योजनांतर्गत जॉबकार्ड, समस्त दस्तावेजों, अभिलेखों, पत्राचार, प्रचार–प्रसार सामग्री इत्यादि पर उपरोक्तानुसार योजना के लोगो को अंकित किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

(शिव शेखर शुक्ला)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.
मुख्यालय, भोपाल

पृ. क्र. 5739 / योजना / NR–1 / MGNREGS-MP / 2010 भोपाल, दिनांक 05/06/2010

प्रतिलिपि–

1. समस्त संभागायुक्त की ओर सूचनार्थ।
2. संचालक, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, आधारतल, जबलपुर की ओर सूचनार्थ।

(शिव शेखर शुक्ला)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.
मुख्यालय, भोपाल

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम

Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act

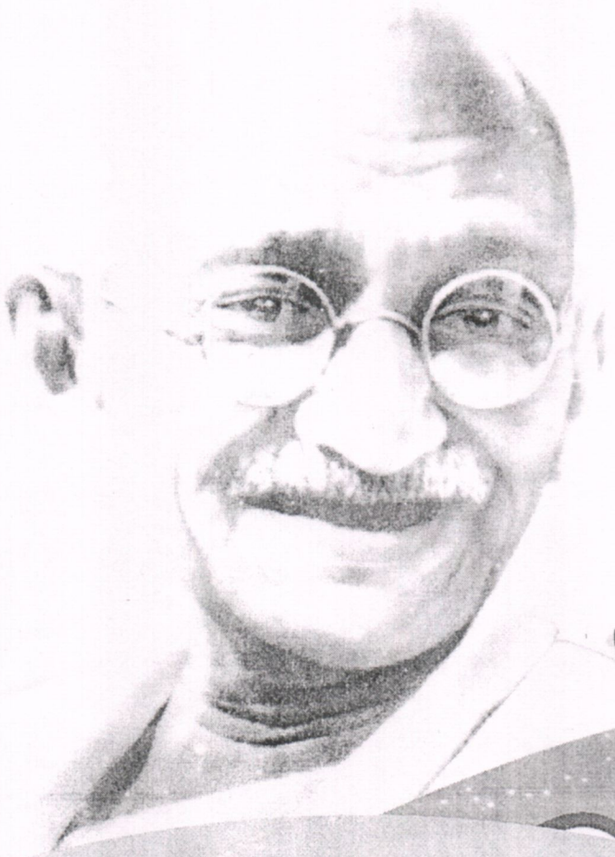

महात्मा गांधी नरेगा

Mahatma Gandhi NREGA

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार

Ministry of Rural Development, Govt. of India

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्यप्रदेश

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग)

नर्मदा भवन, द्वितीय तल, 'सी–विंग', 59–अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र. 3504 /योजना/एनआर–1/MGNREGS-MP/2010 भोपाल, दिनांक 09/04/2010

प्रति,

1. जिला कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक

जिला समस्त

मध्यप्रदेश

विषयः MGNREGS-MP के अंतर्गत ''ग्राम रोजगार दिवस'' प्रतिमाह आयोजित करने बाबत्।

संदर्भः श्रीमती अमिता शर्मा, संयुक्त सचिव, एनआरईजीए नई दिल्ली का पत्र अर्द्ध शासकीय पत्र क्र. एम–12014/8/2006 नरेगा दिनांक 4 मार्च, 2010

– – – – –

संलग्न संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। जिसके द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्यप्रदेश के अंतर्गत बिन्दु क्र. 06 अनुसार आपके जिले के अंतर्गत ग्राम पंचायत में प्रतिमाह निर्धारित एक तिथि को ''ग्राम रोजगार दिवस'' आयोजित किया जाना है।

जिले में प्रत्येक माह में ग्राम रोजगार दिवस का निर्धारण जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा किया जावेगा। उक्त दिवस में मजूदरी का भुगतान किए जाने के संबंध में प्राप्त शिकायतों का निराकरण एवं उसका समाधान किया जाएगा। उक्त कार्यक्रम में एक शासकीय अधिकारी को भी नामांकित किया जावे।

कृपया उक्त आयोजन का निर्धारण कर अन्य बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

8.4.10

(ए.के. सिंह)

संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्यप्रदेश

मुख्यालय, भोपाल

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद

(मध्यप्रदश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)
नर्मदा भवन, द्वितीय तल, 'सी–विंग', 59, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र./ 131 /NR-1/10 भोपाल, दिनांक 11/01/2010

प्रति,

1. कमिश्नर, ...(समस्त)
2. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक, समस्त जिले
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
   समस्त जिले
   मध्यप्रदेश
4. संचालक, एसआईआरडी, जबलपुर

विषयः राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के नाम में संशोधन विषयक।

संदर्भः भारत का राजपत्र सरल क्र. 53, दिनांक 31/12/09

कृपया संलग्न संदर्भित राजपत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। संदर्भित राजपत्र द्वारा 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005' का नाम दिनांक 2/10/2009 से **"महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005"** किया गया है।

अतः भविष्य में जो भी पत्राचार अथवा कार्य आदि किया जाता है, उसमें "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम–2005" को प्रचलन में लाया जावे।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

11/1/10

(रश्मि अरूण शमी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल

रजिस्ट्री सं० डी० एल०—(एन)04/0007/2003—09 REGISTERED NO. DL—(N)04/0007/2003—09

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II — खण्ड 1
PART II — Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 53] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 31, 2009 / पौष 10, 1931
No. 53] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 31, 2009 / PAUSA 10, 1931

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Legislative Department)

New Delhi, the 31st December, 2009/*Pausa* 10, 1931 (*Saka*)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 31st December, 2009, and is hereby published for general information:—

THE NATIONAL RURAL EMPLOYMENT GUARANTEE (AMENDMENT) ACT, 2009

(No. 46 OF 2009)

[31*st December*, 2009.]

An Act to amend the National Rural Employment Guarantee Act, 2005.

BE it enacted by Parliament in the Sixtieth Year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement.

1. (*1*) This Act may be called the National Rural Employment Guarantee (Amendment) Act, 2009.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 2nd day of October, 2009.

Amendment of section 1.

2. In the National Rural Employment Guarantee Act, 2005, in sub-section (*1*) of section 1, for the words "the National Rural Employment Guarantee Act", the words "the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act" shall be substituted. 42 of 2005

V. K. BHASIN,
Secy. to the Govt. of India.

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2009.

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)

नर्मदा भवन, द्वितीय तल, 'सी–विंग', 59–अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र. 13932 /योजना/एनआर–1/NREGS-MP/2009 भोपाल, दिनांक 9/11/2009

प्रति,

1. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक
   जिला ..... (समस्त 50 जिले)
2. मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
   जिला पंचायत ..... (समस्त 50 जिले)
   मध्यप्रदेश

विषयः राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्यप्रदेश के अंतर्गत वितरित जॉबकार्ड विषयक।

उपरोक्त विषयातर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्यप्रदेश के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले समस्त ग्रामीण परिवारों कों जॉबकार्ड जारी किए गए है।

उक्त जॉबकार्ड के संबंध में निम्नानुसार कार्रवाई की जाना सुनिश्चित करें :–

1. ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले समस्त ग्रामीण परिवारों को जॉबकार्ड जारी किए गए है और जिन परिवारों का जीवन स्तर गरीबी रेखा के नीचे का न होने के कारण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्यप्रदेश के अंतर्गत सुविधा प्राप्त नहीं कर रहे है, के नाम सूची से हटाए जाने है। इस संबंध में पृथक प्रक्रिया से अवगत कराया जावेगा।

   प्रथम चरण में सभी सांसदों, विधायकों, जिला पंचायत अध्यक्षों तथा जनपद पंचायत अध्यक्षों के नाम एवं उनके परिवार के सदस्यों के नामों को सूची से हटाकर जॉबकार्ड निरस्त किए जाए।

2. प्रत्येक जिले के ऐसे सभी गणमान्य व्यक्तियों और उनके परिवार के सदस्यों की सूची बनाई जाए, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते है, और जिन्हें जॉबकार्ड जारी किए गए है, परन्तु कार्य करने की इच्छा व्यक्त नहीं की है, उनके जॉबकार्ड भी निरस्त किए जावें। इस हेतु तैयार की गई सूची पर कलेक्टर जिले के प्रभारी मंत्री से अनुमोदन प्राप्त करेंगे।

(रश्मि अरूण शमी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्यप्रदेश
मुख्यालय, भोपाल

पृ. क्र 13933/योजना/एनआर–1/NREGS-MP/2009 भोपाल, दिनांक 9/11/2009

प्रतिलिपि–
समस्त संभागायुक्त की ओर सादर सूचनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्यप्रदेश
मुख्यालय, भोपाल

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)
नर्मदा भवन, द्वितीय तल, 'सी–विंग', 59–अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र. 11910 /योजना/एनआर–1/NREGS-MP/2009 भोपाल, दिनांक 01/09/2009

प्रति,

1. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक
   जिला ..... (समस्त 50 जिले)
2. मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
   जिला पंचायत ..... (समस्त 50 जिले)
   मध्यप्रदेश

विषयः राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्यप्रदेश के अंतर्गत निःशक्तजनों को रोजगार उपलब्ध कराने बाबत्।

आयुक्त, पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग द्वारा मध्यप्रदेश, दृष्टिहीन कल्याण संघ से प्राप्त पत्र में लेख किया गया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्यप्रदेश के अंतर्गत निःशक्तजनों को योजना का पर्याप्त लाभ नहीं दिया जा रहा है।

उपरोक्त संबंध में लेख है कि एनआरईजीएस–एमपी के अंतर्गत निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995, के प्रावधान अंतर्गत निःशक्तजनों को उनकी पात्रता अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के जिन स्थानों पर योजना के कार्य प्रचलित हो उनमें कार्य दिए जाने तथा रोजगार उपलब्ध कराने हेतु संबंधितों को निर्देशित करें, ताकि निःशक्तजनों का समग्र कल्याण एवं पुनर्वास संभव हो सकें तथा निःशक्त अधिनियम 1995 के प्रावधानों का पालन भी किया जा सकें।

अतः सुनिश्चित किया जावें कि निःशक्तजनों को पात्रता अनुसार एनआरईजीएस–एमपी के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध हो।

1/9/09
(रश्मि अरूण शमी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्यप्रदेश
मुख्यालय, भोपाल

पृ. क्र. 11911 /योजना/एनआर–1/NREGS-MP/2009 भोपाल, दिनांक 01/09/2009

प्रतिलिपि–

1. आयुक्त, पंचायत एवं सामाजिक न्याय संचालनालय, तुलसी नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. समस्त संभागायुक्त की ओर सादर सूचनार्थ।

1/9/09
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्यप्रदेश
मुख्यालय, भोपाल

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

नर्मदा भवन, द्वितीय तल, 'सी–विंग', 59, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र./ 9452 /NREGS-MP/योजना/NR-1/09 भोपाल, दिनांक 23/ 7 /2009

प्रति,

1. **कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक,**
   जिला ..... (समस्त 50 जिले)
2. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक,**
   जिला पंचायत, जिला ..... (समस्त 48 जिले)
   मध्यप्रदेश।

विषयः NREGS-MP कि अंतर्गत श्रमिकों को क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान के संबंध में।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्वीम–म.प्र. के बिन्दु क्र. 3.6.3 के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक अथवा अधिकतम पाक्षिक आधार पर किए जाने का प्रावधान है।

परिषद मुख्यालय को प्राप्त सूचना के अनुसार जिलों में मजदूरी भुगतान निर्धारित समयावधि में नहीं किया जा रहा है। यह कृत्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की मंशा के अनुरूप नहीं है तथा अधिनियम के प्रावधानों का उलंघन है।

आपको यह अवगत कराया जाता है कि अधिनियम की अनुसूची 2 के पैरा 30 में प्रावधानित किया गया है कि यदि मजदूरी का भुगतान निर्धारित समयावधि में नहीं किया जाता है, तो श्रमिक मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति की राशि को पाने का हकदार होगा।

अतः यदि किसी जिले में इस प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान की स्थिति निर्मित होती है तो संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

23/7/09

(रश्मि अरूण शमी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल

पृ. क्र./9453/NREGS-MP/योजना/NR-1/09 भोपाल, दिनांक 23/ 7 /2009

प्रतिलिपिः–

1. कमिश्नर, संभाग ..... (समस्त) की ओर सादर सूचनार्थ ।

23/7/09

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन संस्था)

नर्मदा भवन, द्वितीय तल, 'सी–विंग', 59–अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र. 8035 /योजना/एनआर–1/NREGS-MP/2009 भोपाल, दिनांक २५/6/2009

प्रति,

1. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक
   जिला ..... (समस्त 50 जिले)
2. मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
   जिला पंचायत ..... (समस्त 50 जिले)
   मध्यप्रदेश

विषयः राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्यप्रदेश के अंतर्गत विधवा/एकल महिलाओं को स्वतंत्र परिवार का दर्जा दिए जाने बाबत्।

संदर्भः भारत शासन का पत्र कमांक एम–13015/1/2009–एनआरईजीएस दिनांक 20.2.09

भारत शासन के संदर्भित पत्र द्वारा लेख किया गया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत् विधवा/एकल महिलाओं को भी स्वतंत्र परिवार का दर्जा दिया जा सकता है। वे भी एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस के रोजगार हेतु पात्रता रखेंगे।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(रश्मि अरूण शमी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्यप्रदेश
मुख्यालय, भोपाल

पृ. क्र. 8036 /योजना/एनआर–1/NREGS-MP/2009 भोपाल, दिनांक २५/6/2009

प्रतिलिपि–

समस्त संभागायुक्त की ओर सादर सूचनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्यप्रदेश
मुख्यालय, भोपाल